मु.नं.–32/2020 GCMS ID-2020/00071 ता.रजु–24.08.2020 (2)

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

विवेक मीना ग्रा.पो. कैमा तहसील नादौती जिला करौली (राज.) – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नादौती – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–22.09.2020

1. अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 07.09.2020, 14.09.2020, 21.09.2020 व 22.09.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
2. प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र दिनांक 07.03.2020 प्रेषित कर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित उपखण्ड स्तरीय समितियों के गठन आदेश, विघटन आदेश, निर्देश तथा उन समितियों में चयनित/मनोनीत गैर सरकारी संस्थान/व्यक्ति के मनोनयन संबंधी आदेश की प्रतियां, वर्ष 2012–13 से आज दिनांक तक आयोजित बैठकों कार्यवाही संबंधित दस्तावेज/खबर न्यूज की प्रति आदि कुल 5 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–आरटीआई/2020/2169 दिनांक 14.09.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी का आवेदन उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। तत्पश्चात् पत्रांक–आरटीआई/2020/2195 दिनांक 18.09.2020 द्वारा अवगत करवाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रेषित किये गये आवेदन पत्र की छायाप्रति न्यायालय प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर महोदय, करौली से प्राप्त होने पर अपीलार्थी को पत्रांक–आरटीआई/ 2020/2192 दिनांक 18.09.2020 द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित कर दी है। अंत में प्रत्यर्थी ने अपील को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
6. अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को आवेदन प्रेषित करने का प्रमाण संलग्न पेश नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को आवेदन प्रेषित किया गया था या नहीं किया गया था।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दी गई है। साथ ही अपीलोत्तर की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की है जिसके साथ भी सूचना भिजवाई गई है।
8. इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा उनके विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया है एवं सूचना प्रेषित कर दी गई है। अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को विनिश्चय से अवगत करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
9. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
12. निर्णय आज दिनांक 22.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली